राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1893 / 2025

नरेन्द्र सिंह

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.03.2025

<u>उपस्थित —</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में लेबोरेटरी असिसटेंट के पद पर श्रीमती फूली देवी अंशुल बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवा, राजसमंद में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की योग्यता एमए, बीएससी, बीएड है। अपीलार्थी नियमानुसार वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद के साथ—साथ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अपीलार्थी को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयन वर्ष 2021—22 में पदोन्नति दी गयी थी। अपीलार्थी से पदोन्नति के लिये कोई विकल्प नहीं लिया गया और उसे वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति दी गयी, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति चाहता है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग

के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)